

कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 381 रकबा 1.8292 हैक्टेयर में से 0.6691 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 381 रकबा 1.8292 हैक्टेयर में से 0.6691 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। अतः सहखातेदारान् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र एवं राजीनामा एवं ईकबालिया जबाब, संलग्न बंटवाड़ा स्कीम नजरीनकशानुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88.53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा मेरवास सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 253 की भूमि के मुतदाविया खेतायों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी रेखाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 382 रकबा 0.1781 पूरा तथा खेत खसरा नंबर 381 रकबा 1.8292 हैक्टेयर में से 0.4910 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बस्तीराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 381 रकबा 1.8292 हैक्टेयर में से 0.6691 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 381 रकबा 1.8292 हैक्टेयर में से 0.6691 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
5. नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 30/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जयपुर- (नागौर)